

Form No. III**फर्दअहकाम**

(नियम 26)

अज अदालत

न्यायालय जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़मुकाम **चित्तौड़गढ़****मैसर्स वण्डर सीमेंट**

बनाम

मांगीलाल वगैराह

किस्म मुकदमा

प्रार्थना पत्र (रे.वि.)

नं0

172

सन्

2021

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
13.01.2022	<p>पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष अधिवक्ता हाजिर। हाजिर वकील प्रार्थी ने पूर्व में प्रार्थना पत्र बाबत् कार्यवाही विद्दो पेश किया जो शामिल पत्रावली है। रिकार्ड पर लिया जाता है। हाजिर वकील प्रार्थी ने निवेदन किया कि प्रार्थी कम्पनी अपना प्रार्थना पत्र नहीं चलाना चाहती है अतः प्रार्थना पत्र में कार्यवाही समाप्त किये जाने का आदेश प्रदान कराया जावे। प्रार्थना पत्र शामिल पत्रावली रहे। रिकार्ड पर लिया जाता है। हाजिर वकील अप्रार्थी द्वारा कोई एतराज नहीं होना जाहिर किया। हमने पत्रावली का आद्यौपांत अवलोकन किया। उभयपक्ष अधिवक्ता द्वारा की गई बहस बाबत् विद्दो का एक तरफा सुना गया। चिंतन-मनन किया। प्रार्थी कंपनी स्वयं अपना प्रार्थना पत्र नहीं चलाना चाहती है। ऐसी स्थिति में वकील प्रार्थी के निवेदन को स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी कंपनी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 89(04) राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 को विद्दोल में खारीज किया जाता है। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार भिजाई जावे। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p>	



-S/D-
(अरविन्द कुमार पोसवाल)
जिला कलक्टर,
चित्तौड़गढ़
13.01.2022